राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-बिहार

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का दृष्टि पथ :- इस कार्यक्रम द्वारा - ग्रामीण गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविकाओं का संवर्धन किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों-विशेषकर महिलाओं एवं अन्य निर्बल समूहों के जीवन-स्तर का उन्नयन सम्मिलित है। ग्रामीण गरीबों एवं उत्पादकों को स्थायित्वपूर्ण सामुदायिक संगठनों के माध्यम से इस लायक बनाने की योजना है कि बेहतर सेवाओं तक उनकी पहुँच हो सके और वे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अभिकरणों एवं वित्तीय संगठनों से मोल-भाव कर सकें। कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन सामुदायिक संस्थाओं, संगठनों एवं संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण आजीविकाओं को प्रोत्साहित करना है। इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं उनका ग्राम संगठन बनाकर उनके संकुल स्तरीय परिसंघ एवं अन्ततः प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ गठित किये जाने हैं।

यह कार्यक्रम संतृप्तीकरण के आधार पर चलाया जायेगा जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी गरीब परिवार स्वयं सहायता के दायरे से छूट नहीं जाय। उत्पादक समूहों का विकास तथा उनके परिसंघों के गठन को भी सुसाध्य किया जायेगा। उत्पादक समूहों एवं समुदाय आधारित संगठनों के संदस्य रहेंगे। इन समूहों को व्यवसायिक क्षेत्रों के साथ भी जोड़ा जायेगा। महत्वपूर्ण वस्तुओं एवं आजीविका के अंतर्गत विभिन्न जिलों में चिह्नित की गयी गतिविधियों में कृषि, दुग्ध उत्पादकता, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती, जूट, मखाना और मत्स्य उद्योग आदि सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम का उद्येश्य चिह्नित जिलों के वैसे ग्रामीण गरीबों की आय में वृद्धि लाना है जो या तो मूल्य श्रृंखला की किसी महत्वपूर्ण गतिविधि से जुड़ा हो या जिन्हें ऐसे किसी गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है ताकि आजीविका के विकास हेतु यथा-साध्य अधिक आय प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत 1.25 करोड़ गरीब ग्रामीण महिलाओं को 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 65 हजार ग्राम संगठनों, 1600 संकुल स्तरीय परिसंघों, 534 प्रखण्ड स्तरीय परिसंघों में सम्मिलित किया जायेगा। इसके तहत लगभग 3 लाख उत्पादक व्यावसायिक सामुदायिक कर्मियों एवं 2 लाख सामुदायिक संसाधन सेवियों की पहचानकर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि ये सभी ग्रामीण परिवार आपस में मिलजुलकर लगभग 3100 करोड़ रूपये की बचत करेंगे, कार्यक्रम से उन्हें लगभग 3600 करोड़ समुदाय विकास निधि प्राप्त होगा एवं बैंक द्वारा 12000 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। आशा की जाती है कि लगभग 1 करोड़ परिवारों की वार्षिक आमदनी 80 हजार रुपये - 1 लाख 20 हजार रुपये होगी और वे 5-7 वर्ष की अवधि में गरीबी से बाहर निकल सकेंगे तथा 15 लाख बेराजगार युवको के संस्थागत/गैर संस्थागत क्षेत्रों से संबंधित किया जायेगा ताकि उन्हें स्थायी आय हो सके।

<u>कार्यनीति :</u> सामुदाय आधारित विकास कार्यक्रम होने के चलते उपर्युक्त परिणामों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यनीति को अपनाया जायेगा:-

1. सामुदायिक कार्यबल की पहचान ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनों के द्वारा की जायेगी तथा उनको विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित कर स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के संचालन हेतु उन्हें ग्राम में पदस्थापित किया जायेगा।
2. सर्वोत्तम कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान कर उनके कौशल का संवर्धन किया जायेगा ताकि वे अन्य नये गाँवों में गरीबों को संगठित कर सामुदायिक संगठनों का निर्माण कर सकें।
3. स्वयं सहायता समूह परिवारों को सामुदायिक कार्यबल द्वारा प्रशिक्षण एवं संपोषण प्रदान किया जायेगा ताकि उन्हें कृषि, दुग्ध उत्पादकता, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि कार्यक्रमों में शुरू से अंत तक के समाधान प्राप्त हो सके।
4. समरूप अभिलेख संधारण सहभागिता पूर्ण सूक्ष्म नियोजन, बैंकों के साथ एकरारनामा तथा बैंक शाखाओं में सहायता पटलों की स्थापना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की वृद्धि।
5. समुदाय संवर्धित जन वितरण प्रणाली, दुकानों, सामुहिक अधिप्राप्ति एवं कृषि उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों को अपनाकर उनकी दुर्बलता में कमी लाना।
6. समुदाय संवर्धित गरीब अनुकूल प्रसार यांत्रिकता के माध्यम से समग्र कृषि पहल। ग्राम संसाधन सेवी (जो भरसक कृषक (पुरूष/महिला) हों) द्वारा वैसे सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाया जायेगा जो ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित किये गये हों और विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से अनेक कौशल का संवर्धन किया जायेगा ताकि वे भाग लेने वाले स्वयं सहातया समूह परिवारों को कृषि एवं संवद्ध अन्य गतिविधियों को अपनाने में उनकी सहायता कर सकें जिससे उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हो।
7. दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, कला एवं शिल्प, गैर कृषि क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला एवं संकुल स्तरीय प्रयास।
8. विविध आजीविका क्षेत्रों, उद्योग स्थापन हेतु तकनीकी एजेंसियों RSETI इत्यादि के माध्यम से शुरू से अंत तक के समाधान करने वाले अभिकरणों के साथ सहभागिता।

कृषि मार्ग योजना हेतु जीविका कार्यक्रम

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का क्रियान्वयन करेंगे इस कार्यक्रम में जीविका द्वारा कुल मिलाकर आने वाले 5 वर्षों के दौरान 10371312 गरीब परिवार के उन्मुखीकरण कर कुल मिलाकर 864276 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं एतदर्थ क्रमबद्ध किये गये परिवारों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष/ संख्या	2012 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
स्वयं सहायता समूहों की संख्या	45000	91086	145030	206780	213720	162660
स्वयं सहायता समूह क्रमबद्ध किये गये परिवारों की संख्या	540000	1093032	1740360	2481360	2564640	1951920

कृषि पशुपालन एवं सम्बद्ध अन्य गतिविधियों के लिए प्रस्तावित बजट राशि 14,237.92 करोड़ रूपये हैं। जिसके अनतर्गत जीविका परियोजना द्वारा 700 करोड़ रूपये राशि का व्यय वहन किया जायेगा। शेष राशि 13,537.92 करोड़ रूपये राज्य के कृषि मार्ग योजना (Agriculture Road Map) से अपेक्षित होगी।

स्वयं सहायता से सम्बद्ध परिवारों द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम / गतिविधियॉ चलायी जायगी :-

1. चावल गहनता प्रणाली (SRI)
2. गेहूँ गहनता प्रणाली (SWI)
3. फसल गहनता प्रणाली में सब्जियों, दलहनों और तेलहनों का उत्पादन (SCI)
4. वर्मी कम्पोस्ट गड्ढ़ा प्रोत्साहन
5. मधुमक्खी पालन
6. बकरी पालन
7. मुर्गी पालन
8. डेयरी/गव्य कार्यक्रम
9. कृषि उपकरण
10. कृषि, मधुमक्खी पालन, दुध उत्पादन, बकरी पालन एवं मूर्गी पालन में आजीविका संसाधन कार्यक्रम
11. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के गतिविधियों में प्रशिक्षण क्षमता सम्बर्द्धन।

चावल गहनता प्रणाली (SRI) - 2012-13 से 2016-17 के बीच 5 वर्ष की अवधि में कुल 1417800 परिवारों द्वारा SRI कार्यविधि संचालित की जायेगी। प्रति एकड़ प्रत्येक्षण व्यय 3000/- रूपये होगा। SRI का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2012- 13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
SRI करने वाले स्वयं सहायता समूह परिवारों की संख्या	324000	840000	1751400	3360960	4141440
प्रत्यक्षण क्षेत्र (हेक्टैयर में)	24179.1	62686.57	106522.4	188131.3	178361.2
प्रत्यक्षण व्यय लाख रूपये में	1944	5040	8564.4	15125.76	14340.24

गेहूँ गहनता प्रणाली (SWI) - 2012-13 से 2016-17 के बीच 5 वर्ष की अवधि में कुल 13369200 परिवारों द्वारा SWI अपनायी जायेगी। प्रति एकड़ प्रत्यक्षण व्यय 4000/- रूपये होगा। SWI का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2012- 13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
SWI करने वाले स्वयं सहायता समूह परिवारों की संख्या	648000	1008000	2335200	4201200	5176800
प्रत्यक्षण क्षेत्र (हेक्टैयर में)	48358.21	75223.88	125910.4	238298.5	212059.7
प्रत्यक्षण व्यय लाख रूपये में	5184	8064	13497.6	25545.6	22732.8

फसल गहनता प्रणाली (SCI) -

सब्जी, दलहन एवं तेलहन के उत्पादन हेतु 2012-13 से 2016-17 के 5 वर्षों के अवधि में कुल 7647400 स्वयं सहायता समूह परिवार योगदान करेंगे। ये कार्यक्रम 22930200 भूखण्डों में चलाया जायगा। सब्जी उत्पादन, दलहन उत्पादन एवं तेलहन उत्पादन का प्रत्यक्षण क्रमश: 300-750 एवं 300 वर्गमीटर जमीन में किया जायगा। घर के सहन में रसोईघर बागबानी चलायी जायगी। SCI सब्जी, दलहन एवं तेलहन का प्रति एकड़ प्रत्यक्षण व्यय 29000/-, 4000/- एवं 12520/- होगा। भूमि रहित रसाई बागबानी का ईकाई मूल्य 200 रूपये प्रति परिवार होगा। SCI सम्वर्द्धन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**2012- 13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
SCI करने वाले स्वयं	567000	2688000	4670400	6721920	8282880

सहायता समूह परिवारों की संख्या					
प्रत्यक्षण क्षेत्र (हेक्टैयर में)	26597.01	110328.4	165098.5	165571.3	148273.4
प्रत्यक्षण व्यय (लाख रूपये में)	8156.579	34506.7	51960.81	53128.7	48709.84

वर्मी कम्पोस्ट गड्ढ़ों का सम्वर्द्धन -

वर्मी कम्पोस्ट गड्ढ़े सम्वर्द्धन 2012-13 - 2016-17 का 5 वर्ष की अवधि में कुल 4792500 स्वयं सहायता समूह परिवारों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट गड्ढ़ा की गतिविधि संचालित की जायगी। प्रत्येक परिवार 1800 रूपये प्रति गड्ढ़े की दर से 5 गड्ढों का क्रियान्वयन करेगा। वर्मी सम्पोस्ट गड्ढ़ों की कुल संख्या लगभग 23962500 होगा। कम्पोस्ट सम्वर्द्धन का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**2012- 13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
वर्मी कम्पोस्ट करने वाले स्वयं सहायता समूह परिवारों की संख्या	121500	336000	583800	1680480	2070720
कुल वर्मी कम्पोस्ट गड्ढे करने की संख्या	607500	1072500	1239000	5483400	1951200
कुल वर्मी कम्पोस्ट गड्ढे की व्यय राशि (लाख रूपये में)	10935	19305	22302	98701.2	35121.6

मधुमक्खी पालन सम्वर्द्धन :

मधुमक्खी पालन आय सम्बर्द्धन की गतिविधि है जिसे 5 लाख स्वयं सहायता समूह परिवारों द्वारा अपनाया जायगा। प्रत्येक परिवार को गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु 4 मधु छते उपलब्ध कराये जायेंगे। मधुछते का इकाई मूल्य 2500 रूपये होंगे जिसके अन्तर्गत एक मधु निष्कर्ष एवं 200 मधु छते होगा। इस क्रियाविधि के अन्तर्गत 20 लाख मधुछतों का सम्वर्द्धन किया जायगा। मधुपालन सम्वर्द्धन का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**2012- 13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
मधुमक्खी पालन से जुड़ने वाले परिवारों की संख्या	2000	8000	40000	150000	300000
स्वयं सहायता समूहों की	8000	32000	160000	600000	1200000

परिवार को दिये जाने वाले मधुमक्खी बक्सा एवं दलों की संख्या					
मधुमक्खी बक्सा एवं शहद एक्सट्रेक्टर की व्यय राशि (रूपया लाख में)	200	800	4000	15000	30000

गाय पालन एवं दुग्ध उत्पादन -

गाय पालन एवं दुग्ध उत्पादन, बिक्री समूह की गरीब महिलाओं के लिए एक आय का स्रोत है। इस गतिविधि को स्वयं सहायता समूहों की 10 लाख महिलाएँ करेंगी। इस गतितिधि के लिए 65 प्रतिशत का गाय का मूल्य समर्थित किया जायेगा जो लगभग 20 हजार रूपये है। गाय पालन का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**2012- 13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
गाय पालन में लगे स्वयं सहायता समूह परिवारों	25000	100000	200000	500000	1000000
गाय पर कुल व्यय राशि जो परिवारों को समर्थित किया जायेगा (लाख रूपये में)	5000	15000	20000	60000	100000

बकरी पालन -

आय का एक अन्य महत्वपूर्ण बकरी पालन गतिविधि है जो गरीब व्यक्तियों का एटीएम माना जाता है। यह कार्यक्रम 10 लाख स्वयं सहायता समूह परिवारों द्वारा अपनाया जायगा। इसका इकाई व्यय 10,000/- रूपया होगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को 3 बकरियों (गर्भवती अथवा बच्चों वाली) बकरी का एक समय सम्पोषण उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय प्रबंधित बकरी प्रजनन फार्म प्रत्येक 500 बकरी पालक स्वयं सहायता समूह परिवारों के लिए स्थापित किया जायगा। प्रत्येक समुदाय प्रबंधित बकरी प्रजनन फार्म का इकाई मूल्य 5 लाख रूपया होगा। बकरी पालन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

वर्ष	**2012- 13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
बकरी पालन में लगे स्वयं सहायता समूह परिवारों	1000	10000	50000	200000	1000000
स्वयं सहायता समूह द्वारा समर्थित बकरियों की संख्या	3000	27000	120000	450000	2400000

बकरी का मूल्य (लाख रूपया में)	100	900	4000	15000	80000
समुदाय प्रबंधित बकरी प्रजनन फार्म की संख्या	2	90.8	483	1096.68	2460.96
बकरी फार्म का कुल व्यय (लाख रूपये में)	10	454	2415	5483.4	12304.8

मुर्गी पालन -

मुर्गी पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 2070720 स्वयं सहायता समूह परिवारों को सम्बद्ध किया जायगा और प्रत्येक परिवार को 45 मुर्गियों एवं उनके लिए एक छोटा मुर्गीखाना उपलब्ध कराया जायगा। 250 स्वयं सहायता समूह परिवारों के लिए 20000/- के इकाई व्यय की मातृ इकाई गठित की जायगी। मुर्गी पालन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
मुर्गी पालन में लगने वाले स्वयं सहायता समूह परिवारों की संख्या	5000	50400	583800	1680480	2070720
स्वयं सहायता समूह परिवारों को दिये जानेवाले सम्पोषण मुर्गियों की संख्या	225000	2043000	24003000	49350600	17560800
मुर्गियों एवं उनके दरवा का कुल व्यय (लाख रूपये में)	150	1362	16002	32900.4	11707.2
मुर्गी पालन के लिए मदर यूनिट का कुल व्यय (रूपये लाख में)	4	36.32	426.72	877.344	312.192

कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम

अनुमान किया जाता है कि अधिकतर गॉवों में, लगभग 75-100 स्वयं सहायता समूह के परिवार कृषि हस्तक्षेप में भाग लेंगे जिसके तहत चावल गहनता प्रणाली, गेहूँ गहनता प्रणाली एवं फसल गहनता प्रणाली को अपनाया जायेगा। इन सभी प्रक्रियाओं एवं तकनीकों में विभिन्न आकारों के कोनो-वीडर्स, बीज बुआई मशीन, डीजल पम्प, बोरिंग की सुविधा, झरना, स्प्रेयर इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता होगी।

प्रति इकाई कृषि संयत्र की लागत 1 लाख 65 हजार रूपये है, इसके तहत 10 वीडर्स (गेहूँ गहनता प्रणाली/चावल गहनता प्रणाली/फसल गहनता प्रणाली), 2 डीजल पम्प, 2 बोरिंग सुविधा, 10 झरना, 5-10 बीज बुआई मशीन है। कृषि संयत्रों अथवा यांत्रिकरण हेतु वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
स्वयं सहातया समूह परिवारों की संख्या	648000	1008000	2335200	4201200	5176800
कृषि संयत्र (रूपया लाख में)	10692	16632	38530.8	69319.8	85417.2

प्रशिक्षण एवं समग्र संवर्धन

कुल मिलाकर 59748100 प्रशिक्षण विगोपण, किसान अधिवेषण एवं संकुल अधिवेषण आयोजित किया जायेगा जिसके प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य इकाई लागत 200 रुपये होगा। वर्ष वार विवरणी निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
स्वयं सहातया समूह परिवारों का कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में प्रशिक्षण (स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या)	1693500	5042400	10224600	18545040	24242560
प्रशिक्षण व्यय (लाख रूपये में)	3387	10084.8	20449.2	37090.08	48485.12

आजीविका हेतु संसाधन सेवी (Livelihood Resource Person)

5 वर्ष की इस अवधि में कृषि एवं संबंधित अन्य गतिविधयों में जुड़े स्वयं सहायता समूह परिवारों के संपोषण हेतु लगभग 216076 आजीविका संसाधन सेवियों की सहारा ली जायेगी। प्रत्येक संसाधन सेवियों से लगभग 100 स्वयं सहायता समूह परिवारों को अंत तक समाधान हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। वर्ष वार स्वयं सहायता समूह परिवारों की संख्या, आजीविका संसाधन सेवियों की संख्या और सेवा चार्ज लागत निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में भाग लेने वाले स्वयं सहायता समूह के परिवारों की संख्या	681000	1178400	3219000	6781680	9747520
संसाधन सेवियों की संख्या	6810	11784	32190	67816	97475
सेवा शुल्क की लागत (रुपये लाख में)	4395.12	7963.2	22242.78	46633.32	65227.68